संरक्षण की त्रासदी

-लेखक - मधुसूदन बंदि (संकाय सदस्य, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, अहमदाबाद)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

30 दिसम्बर, 2020

जैव विविधता की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट से स्वदेशी लोगों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करना निरर्थक साबित होगा।

2012 में, पश्चिमी घाटों में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित वनों को कवर करने वाले 39 क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये स्थल उनके जैव विविधता मूल्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इनमें से दस कर्नाटक में स्थित हैं।

जब से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संभावित विरासत स्थलों की पहचान शुरू की है, तब से स्वदेशी लोगों के बीच अशांति पैदा हो गई है। जब इसका अभ्यास शुरू हुआ, तो इनेक द्वारा विरोध किया जाने लगा, क्योंकि ये दशकों से इन्हीं जंगलों में बसे हुए थे।

भारत में वन अधिकार अधिनियम, 2006 और 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा की पृष्ठभूमि में, पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों को यह अनुमान नहीं था कि विश्व विरासत स्थल की घोषणा के बाद उनका अपना भविष्य अनिश्चितताओं से घिर जाएगा।

विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTG) सहित पश्चिमी घाट के स्वदेशी लोग, कर्नाटक की 6.95% आदिवासी आबादी का 44.2% हैं। पश्चिमी घाट गुवालिस, कुनबीस, हलाक्की वक्कला, कारे वक्कल, कुन्बी और कुलवाड़ी मराठी जैसे समुदायों की एक बड़ी आबादी के लिए घर है। वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में, उन्हें अन्य पारंपरिक वनवासियों के रूप में माना जाता है क्योंकि वे 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं। वे जंगल से मामूली वन उपज जैसे दालचीनी और कोकम इकट्ठा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं।

एक निराशाजनक रिकॉर्ड

अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक का वन अधिकार अधिनियम को लागू करने में निराशाजनक रिकॉर्ड रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 30 अप्रैल, 2018 तक, राज्य द्वारा किए गए कुल दावों में से केवल 5.7% को मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय रूप से, 70% दावों का निपटान किया गया था। आदिवासियों द्वारा किए गए दावों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा किए गए दावों को निपटाने में सरकार के दृष्टिकोण में अस्पष्टता दिखाई दी। असंगतता उनके तर्क में ही परिलक्षित होती है। उनके अनुसार, आदिवासी दावों का 17.5% का निपटान कर दिया गया, जबकि अन्य दावों को खारिज कर दिया गया क्योंकि वे वैध साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे। इसका मतलब है कि अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा किए गए दावों को असंगत माना गया है।

गलत दृष्टिकोण

यह मानना कि आदिवासियों या अन्य पारंपरिक वनवासियों को जंगल में उनके अधिकारों से वंचित करने से संरक्षण का उद्देश्य पूरा होगा, सच्चाई से कोसो दूर है। वन अधिकार अधिनियम किसी को भी इसके लिए आवेदन करने वाले को वन भूमि के अंधाधुंध वितरण से संबंधित नहीं है। इस कानून के अनुसार, केवल उन जमीनों को मान्यता दी जाती है जिन्होनें 13 दिसंबर 2005 से पहले अपना आधिपत्य साबित किया हो। सरकार के रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद, 43 लाख हेक्टेयर वनभूमि को कानूनी और अवैध रूप से 1980 तक अतिक्रमण कर लिया गया था। अफसोस की बात है कि इस ऐतिहासिक कानून के बाद भी कोई महत्वपूर्ण संरक्षण नहीं है।

वास्तव में, स्वदेशी लोगों को जैव विविधता की रक्षा के लिए अलग करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण उनके और संरक्षण ावादियों के बीच संघर्ष का मूल कारण है। ऐसा सोचा जाता है कि बाद में संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित कर लिया जाएगा। हालांकि, यह सिद्धांत तेजी से अनुत्पादक साबित हो रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट 5 में उल्लेख किया गया है कि दुनिया भर में जैव विविधता कम हो गई है, यहां तक कि संरक्षित क्षेत्रों में भी। प्रकृति के परिवेश में रहने वाले लोग संरक्षण के लिए अभिन्न तत्व हैं क्योंकि वे इसके साथ अधिक एकीकृत और आध्यात्मिक तरीके से संबंधित हैं।

आगे की राह

पश्चिमी घाटों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करना इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जंगलों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की मान्यता। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि की जाती है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से सशक्त करना आवश्यक है।

वन अधिकार अधिनियम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श साधन है। इसे धरातल पर साकार करने के लिए, सरकार को क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और उन वनों पर निर्भर लोगों के बीच विश्वास कायम करने का प्रयास करना चाहिए तथा वनों में रहने वाले लोगों को देश के बाकी सभी नागरिकों की तरह ही नागरिक मानना चाहिए।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है।
2. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है।
3. प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** 2 और 3

(c) उपर्युक्त सभी **(d)** 1 और 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Western Ghats:-

1. The Western Ghats extend from the Tapti River to Kanyakumari in 6 states of India - Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Goa, Maharashtra and Gujarat.
2. The UNESCO World Heritage Committee has included it in the list of World Heritage Sites.
3. Most of the rivers of peninsular India originate from the Western Ghats.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Only 1

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जैव विविधता की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट से स्वदेशी लोगों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करना निरर्थक साबित होगा। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Isolating the indigenous people from their natural habitats in the Western Ghats to protect biodiversity is unproductive. Critically examine this statement.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।